

4

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (BHOPAL), मध्य प्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:

ई-मेल:

दिनांक:- 07/03/2017

क्रमांक:स्कूल आई.डी. - 3221121702/26754

पति,

प्रबंधक,

(St. Mary's Convent Sr Sec School)

वषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकांश अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकांश अधिनियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/2017 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल St. Mary's Convent Sr Sec School, 1250 Qtrs Tulsi Nagar Bhopal को कक्षा KG-I से कक्षा 8th तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न लक्ष्य शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

- मान्यता वस्तुस्थिति नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता संभवता की कोई भी प्रकृति किसी भी रूप में बढ़ाई नहीं होगी।
- स्कूल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकांश अधिनियम, 2009 (अध्याय 1) तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकांश अधिनियम, 2010 (अध्याय 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल अपने प्रवेश की सीमा के अंतर्गत समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेश प्राप्त बालकों को उस अनुपात में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वास्तविक आदर्शों के पूर्ण करने हेतु इस प्रकार वास्तविक सहायता या अनुदान प्राप्त होता है। किंतु यह न्यूनतम प्रवेश प्रतिशत के अधीन होगा। बशर्त कि वह स्कूल पूर्व स्कूल (प्र स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्र-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- धारा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यवस्था की पूर्ति की जाएगी तथा ऐसी पूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को प्रत्येक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल को कोई भी के प्रदर्शन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ कभी छानवीन प्रकृति का नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए व्यक्ति की गई वस्तुस्थिति कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश प्राप्त किया गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या लिपिका मत नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि:शुल्क/प्रवेश आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्त कि प्रवेश में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी।
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - प्रथमोप टीचिंग की गति व धर्मों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेगी।
- स्कूल समूह या अधिकांश द्वारा निर्धारित प्रावधानों का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में व्यक्ति किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

Sr. Magtap
PRINCIPAL

St. Mary's Convent Sr.Sec.School
BHOPAL

[Signature]
District Education Officer
Distt. Bhopal